यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला परिवीक्षा अ धकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला परिवीक्षा अ धकारी, रुद्रप्रयाग के माह 11/2015 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरिन्दम चटर्जी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री दया शंकर वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.11.2017 से 05.12.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अ धकारी के आं शक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजेन्द्र कुमार जोगी, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी एवं श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री वजय पाल नेगी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.11.2015 से 10.11.2015 तक श्री अ वनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से माह 10/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2015 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा जनपद के अंतर्गत जनपद के अनुसू चत जाति, जनजाति, अन्य पछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लए व भन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृ त्त शादी वमारी, अनुसू चत जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसू चत जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य कया जाता है।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आ धक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आ धक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	--	--	1.21	0.25	0.96	957.46	956.92	0.54
2015-16	--	--	5.37	5.12	0.25	1146.85	1146.85	--
2016-17	--	--	6.23	5.34	0.89	928.57	928.57	--
2017-18 10/17 तक	--	--	4.03	2.99	1.04	546.99	323.05	223.94

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	Nil	23.43	23.43	Nil	21.24	21.24

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक समाज कल्याण द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत करते हुए इकाई "स" श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव, समाज कल्याण, 2. निदेशक समाज कल्याण 3. जिला समाज कल्याण अ धकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त, आर क्षत श्रेणी के लोगों क व भन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान कया जाता है, को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला परिवीक्षा अ धकारी, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया। शादी एवं बीमारी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृ त्त योजना, अनुसू चत जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास, गौरा देवी कन्याधन योजना, वकलांग पेंशन योजना आदि का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय के आधार पर कया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 01:- धनराशि रु0 153.18 लाख का विगत दो वर्षो से अनावश्यक अवरोधन तथा बैंक खाते का अनाधिकृत संचालन किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 875(1)/वित्त अनुभाग–3/ 2003–04 दिनांक 30 अप्रैल 2003 एवं पत्र संख्याः 99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी एल ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाय।

जिला परिवीक्षा अधिकारी, रुद्र प्रयाग की रोकड बही एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के लिए 01 बैंक खातों का संचालन अनाधिकृत रुप से किया जा रहा था, जिसके संचालन के लिए उपरोक्त प्रावधानानुसार शासन के वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी थी। योजनाओं के अन्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर से आवंटित सम्पूर्ण धनराशि को कोषागार से आहरित कर इस बैंक खातों में रखा जाता था। आगे जॉच में पाया गया कि योजनाओं में आवंटित धनराशि को प्रगति प्रतिवेदनों में शत्प्रतिशत व्यय दर्शाया गया था जबकि विगत दो वर्षो में बैंक से प्राप्त किये गये विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में धनराशि पडी हुई थी। विवरण निम्नवत् है :

(धनराशि ` लाख में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	03/2016 के अन्त में अवशेष धनराशि	03/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि	10/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि
Nainital Bank Ltd.	0932000000000155	157.84	156.14	153.18

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथि माह 10/2017 के अन्त में भी उक्त बैंक खाते में रु0 153.18 लाख की धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी थी। यह भी पाया गया कि इन बैंक खातों से किये जा रहे लेन–देनों के लिए अलग से रोकड बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा था। यह भी पाया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित एवं कोषागार से आहरित सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को शतप्रतिशत् धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा था जबकि बैंक विवरणी के अनुसार उक्त योजनाओं में वर्ष के अन्त में धनराशि शेष पडी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि शासन को मिथ्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे थे।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि अवशेष धनराशियों में लगभग रु0 80.00 लाख योजना की धनराशि है जिसे भुगतान किया जाना है। शेष धनराशियों

का पुनः आकलन कर आवश्यकता न होने पर शासन का समर्पित कर दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवशेष धनराशि रु0 73.00 लाख के सम्बन्ध में इकाई को ज्ञात ही नहीं है कि यह किस योजना की है तथा कितने वर्षो से अवशेष है।

अतः धनराशि रु0 153.18 लाख का विगत दो वर्षो से अनावश्यक अवरोधन तथा एक बैंक खाते का अनाधिकृत संचालन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 02:- गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत 02 लाभार्थियों को रू 1.0 लाख का दोहरा भुगतान एवं पात्र 511 लाभार्थियों को रू 255.50 लाख का भुगतान न किया जाना।

गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21206/– शहरी क्षेत्र से अधिक न हो। योजना के अन्तर्गत चयनित प्रति छात्रा को रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ डी आर बनाये जाने हेतु छात्राओं के खातें में ऑनलाईन धनराशि स्थान्तरित कर दी जायेगी।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी रूद्रप्रयाग के सामान्य जाति गौरा देवी कन्याधन योजना के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाभिलेखों **की जाँच** में पाया गया कि सामान्य जाति के 3367 लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु चयनित किया गया था। जिसमें से 2856 लाभाथिर्यो को योजना से लाभान्वित करते हुए रू 1371.00 लाख की धनराशि का व्यय किया गया था। वर्ष 2016–17 के 511 पात्र लाभार्थियों को सम्प्रेक्षा अवधि (10/2017) तक भुगतान नही किया गया था। जिसके लिए इकाई द्वारा रू 255.50 लाख का भुगतान किया जाना शेष था। यह भी संज्ञान में आया कि वर्ष 2014–15 में 02 लाभार्थियों कु० जमुना एवं कु० दीक्षा को रू 1.00 लाख (रू 50000 की दर से) का दोहरा भुगतान किया गया था जो कि अधिक भुगतान था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि **अवशेष बालिकाओं को भुगतान के लिए बजट की मांग की गई है आंवटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। बालिकाओं को दोहरा भुगतान के संदर्भ में इंगित करने पर इकाई ने कहा कि सन्दर्भित बालिकाओं कु० जमुना एवं कु० दीक्षा से पत्राचार कर एक अतिरिक्त एफ डी की धनराशि वापस प्राप्त कर ली जायेगी।** उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि यदि विभाग द्वारा लाभार्थियों को दोहरा भुगतान न किया होता तो 02 अन्य लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा सकता था। तथा वर्ष 2016–17 में अवशेष लाभार्थियों को परीक्षाफल धोषित होने के 15 **दिन के** भीतर ही एफ डी आर के रूप में धनराशि बैक को आनलाईन प्रेषित कर दिया जाना चाहिए था जबकि परीक्षाफल जून 2017 में घोषित होने के (10/2017) के 05 माह के पश्चात भी धनराशि लाभार्थियों के खातो में स्थानानतरण नही किया गया था।

अतः गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत 02 लाभार्थियों को रू 1.0 लाख का दोहरा भुगतान एवं पात्र 511 लाभार्थियों को रू 255.50 लाख का भुगतान न किये जाने का प्रकरण सज्ञांन में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- शासनादेश का उल्लंघन कर कोषागार से आहरित धनराशि ₹ 372.33 लाख की इन्द्राज रोकड़ बही में न दर्शाना।

कोषागार के माध्यम से समस्त शासकीय भुगतान सीधे संबंधितों के बैंक खातें में अंतरण कर इ-पेमेंट प्रणाली को लागु किये जाने से सम्बंधित उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के दिशानिर्देश दिनांक 01/2013 के बिंदु सं 4.9 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयको की धनराशि संबंधितों के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के बिबरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित बिबरण 11-सी पंजिका, कैश बुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थल पर करेंगे।

कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के लेखापरीक्षा के दौरान व्यय के चयनित माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 की वाउचर के साथ रोकड़ बही के जाँच करते समय यह देखा गया कि कोषागार से उक्त दोनों माह में कुल 3,72,33,000=00 की धनराशि आहरण किया गया पर उसकी आहरण एवं भुगतान की इन्द्राज रोकड़ बही में दर्शाया नही गया।। इससे योजनाओ में की गयी भुगतान संदिग्ध श्रेणी में आता है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति पर सहमत प्रदान करते हुए बताया गया कि जानकारी के अभाव में वाउचर का रखरखाव नही किया गया एवं भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।।

अतः शासनादेश का उल्लंघन कर कोषागार से आहरित धनराशि ₹ 372.33 लाख की इन्द्राज रोकड़ बही में न दर्शाए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

प्रति. सं0	वर्ष	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
125	2015-16	शून्य	01	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त व र्णत अनस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया क संद र्भत प्रस्तर की अनुपालन आख्या पूर्व में निदेशक, समाज कल्याण को प्रे षत कया गया है एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए महालेखाकार कार्यालय के लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत कया गया को प्रे षत कर दिया जाएगा।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला परिवीक्षा अ धकारी, रुद्रप्रयाग तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री सुरेन्द्र लाल	जिला समाज कल्याण अ धकारी	
2.	श्री बलवंत संह रावत	जिला समाज कल्याण अ धकारी	

(5) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला परिवीक्षा अ धकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.